



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271435
CG-DL-E-31032026-271435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 208]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 227(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2026-27 के लिए फाइल किए गए विवरणी पर लागू होंगे।।
2. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट-2 में, क प्ररूप आ.क.वि.-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप	आ.क.वि-2	भारतीय आय कर विवरणी [व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है] [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए]	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	6	-	2

भाग क- साधारण	साधारण												
व्यक्तिगत सूचना	(क1) प्रथम नाम	(क2) मध्य नाम	(क3) अंतिम नाम	(क4) स्थायी लेखा सं.									
	संसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रदान किए जाने वाले पते: प्राथमिक पता: (क6क) फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं (क7क) परिसर/भवन/ग्राम का नाम (क8क) सड़क/मार्ग/डाकघर (क9क) क्षेत्र / अवस्थान (क10क) नगर/शहर/जिला (क11क) राज्य (क12क) देश (क13क) पिनकोड/ जिप कोड द्वितीयक पता: (क6ख) फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं (क7ख) परिसर/भवन/ग्राम का नाम (क8ख) सड़क/मार्ग/डाकघर (क9ख) क्षेत्र / अवस्थान (क10ख) नगर/शहर/जिला (क11ख) राज्य (क12ख) देश (क13ख) पिनकोड/ जिप कोड			(क5) प्रास्थिति (सही का निशान लगाएँ) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यष्टि <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (क14) जन्मतिथि / गठन / (तिथि / मास / वर्ष) / / (क15) आधार संख्यांक (12 अंक)									
	संसूचना के प्रयोजनों के लिए ब्योरे उपलब्ध कराये जाए:												
	(क16) निवास/कार्यालय का एस.टी.डी कोड सहित फोन नं. / करदाता का प्राथमिक मोबाईल नं.	(क17) द्वितीयक मोबाईल नं.											
(क18) करदाता का प्राथमिक ई मेल पता (स्वयं का)			(क19) द्वितीयक ई मेल पता										
फाइलिंग का स्टैटस	(क20)	(क1i) धारा के अधीन दाखिल (सही का निशान लगाएँ)	<input type="checkbox"/> 139(1) - नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4) - विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5) - पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92 गघ उपांतरित विवरणी <input type="checkbox"/> 119(2)(ख) - विलम्ब को माफ करने के पश्चात्										
		(क 1iii) या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153 ग										
	(क2)	क्या आप नई कर व्यवस्था का चयन करके धारा 115 खकग(6) के अधीन विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं (डिफाल्ट रूप में 'नहीं' है)? टिप्पण: बाहर निकलने का विकल्प चयन करने के लिए, धारा 139(1) के अधीन विवरणी सहित विकल्प का चयन करना चाहिए।											
	(ख)	क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [टिप्पण: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अधीन आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]											
	(खi)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)										
	(खii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)										
	(खiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)										
	(खiv)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं किंतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अन्यथा अपेक्षित नहीं है? (हां/ नहीं) (यदि हां, तो ड्राप डाउन से सारणी से सुसंगत शर्त का चयन करें)											
(ग)	यदि पुनरीक्षित / त्रुटियुक्त/उपांतरित है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तारीख/मास/वर्ष)	/ /											

(घ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिफ संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें या यदि 92गघ के अधीन फाइल की गई अग्रिम कीमत करार की तारीख प्रविष्ट करें		(यूनिफ नंबर)	/	/									
(ङ)	भारत में निवासीय प्राप्ति (लागू विकल्प का चयन करें)	अ.निवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 182 या अधिक दिन थे [धारा 6(1)(क)] <input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 60 या अधिक दिन थे, और पिछले 4 वर्षों के भीतर भारत में 365 दिन रहे हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहां स्पष्टीकरण 1 लागू नहीं होता है] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, जो रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाज कर्मिंदल के सदस्य के रूप में भारत के बाहर गए तथा पूर्ववर्ती वर्ष में भारत में 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे [धारा (6)(1)(क) के स्पष्टीकरण 1(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं क) 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे या उससे अधिक; या ख) 120 दिन या इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों में 365 दिनों या इससे अधिक के लिए , यदि कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक हो [धारा (6)(1)(ग) के स्पष्टीकरण 1(ख)]											
		आ. निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं	<input type="checkbox"/> आप पिछले 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में 729 दिन या उससे कम भारत में रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत में आया है जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक है तथा भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है[धारा 6(6)(ग)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख रू. से अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण[धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित											
		इ. अनिवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप अनिवासी थे (i) कृपया पिछले वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं) विनिर्दिष्ट करें - <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)</th> <th>करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			क्र.स.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)	1			2		
क्र.स.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)												
1														
2														
			(ii) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (पीओआई) होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)</th> <th>पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)							
पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)													
	भारत में निवासीय प्राप्ति (हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	ई. <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी												
(च)	क्या आप धारा 115 ज के अधीन फायदे का दावा करना चाहते हैं (निवासी की दशा में लागू)		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं											
(छ)	क्या धारा 5क के अनुसार आप पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किए जाते हैं? (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि "हां" कृपया अनुसूची 5क भरें)													
(ज)	क्या आप एफ.पी.आई हैं? हां/नहीं यदि हां, सेबी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करें													
(झ)	विधिक इकाई पहचानकर्ता (एल.ई.आई) ब्यौरे (अनिवार्य है यदि प्रतिदाय 50 करोड़ रूपए या अधिक है)													
	एल ई आई सं.		तक वैध है											
(ञ)	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा दायर की जा रही है? (✓) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें -													
	(1)	प्रतिनिधि निर्धारिती का नाम												
	(2)	प्रतिनिधि निर्धारिती का ई-मेल आईडी												
	(3)	प्रतिनिधि निर्धारिती का संपर्क संख्या												
(ट)	क्या आप पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आप किसी कंपनी के निदेशक थे ? (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो निम्नलिखित सूचना दे -													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	क्या उसके शेयर सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)									
		(डाप डाउन प्रदान किया जाना है)												

(ठ) क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी समय आपके पास असूचीबद्ध साधारण शेयर थे ? (सही का निशान लगाये) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना दे														
कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरंभिक अधिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित शेयर						वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंतिम अधिशेष	
			शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नये निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	
1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

अनुसूची वेतन		वेतन से आय का ब्यौरा	
वेतन	नियोजक का नाम	नियोक्ता की प्रकृति (टिक) <input checked="" type="checkbox"/> करें (झाप डाउन प्रदान किया जाना)	नियोजक का टेन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)
	नियोजक का पता	नगर / शहर	राज्य
			पिनकोड / ज़िप कोड
1	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)		1
	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन(झाप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1क
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य(झाप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1ख
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ(झाप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1ग
	घ	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1घ
	ङ	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ
	च	किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर छूट का दावा किया गया।	1च
	(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)		
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)		2
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भले (ई-फाईलिंग उपयोगिता में झापडाऊन उपबंधित किया जाए) (नोट: यह सुनिश्चित करे कि इसे उपरोक्त (2) में कुल निवल वेतन में शामिल किया गया है)		3
3(क)	घटाएं: धारा 89क के अधीन कराने से राहत के लिए दावा की गई आय		
4	कुल वेतन (2 - 2क - 3क)		4
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)		5
	क	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	5क
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग
6	वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)		6

अनुसूची गृह संपत्ति		गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (संपत्ति के स्वामित्व को उपदर्शित करते हुए डाउनलोड का उपबंध करें)।				
गृहसंपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	देश	पिनकोड/जिप कोड
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
		संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)				
		सहस्वामी (स्वामियों) का नाम	सहस्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या.		संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता	
		I				
		II				
		[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं)	किराएदार का नाम(यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया नोट देखें)		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
		<input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर हो	I			
		<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में	II			
		<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	III			
		क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य			1क
		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती		1ख	
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्तकर		1ग	
		घ	योग (1ख + 1ग)		1घ	
		ङ	वार्षिक मूल्य (1क - 1घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)			1ङ
	च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)			1च	
	छ	1च का 30%		1छ		
	ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (ब्यौरे ई-फाइलिंग में टिप जानने वाले डाउनलोड में भरे जाएंगे)		1ज		
	झ	योग (1छ + 2ज)			1झ	
	ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया			1ञ	
	ट	गृहसंपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)			1ट	
		(प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथकतः भरें)				
	2	आय/क्षति के जरिए पास यदि कोई हो *			2	
	3	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (Σ1ट + 2) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2i अंक लेंगे)			3	
	टिप्पण	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।				
	टिप्पण	किराएदार का पैन/ आधार संख्या. दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-इख के अधीन काटा जाता है किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है				

अनुसूची पूंजी अभिलाभ		पूंजी अभिलाभ				
पूंजी अभिलाभ	अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अपूअ)(उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए लागू नहीं है)				
	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)				
		1	क्रय/अर्जन की तारीख/मास/वर्ष		क्रय/अंतरण की तारीख/मास/वर्ष	
			क	i	प्राप्त/प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	का
		ii	स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii		

			iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [यदि (कii), (का) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो इस अंक को (का)लेंगे अन्यथा (कii) लेंगे।	कiii					
			ख	धारा 48 के अधीन कटौती						
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा					
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii					
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii					
			iv	कुल (खा + खii + खiii)	खiv					
			ग	अतिशेष (कiii - खiv)	1ग					
			घ	धारा 54ख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	1घ					
			ङ	संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1ग- 1घ)				अ1ङ		
			च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)						
				क्रं सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन्/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	संपत्ति का पता देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड	राज्य
				टिप्पण► पैन्/ आधार नं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।						
		2		इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (एफआईआई के लिए) के अधीन एसटी टी संदत्त किया गया है (जहां क 3 लागू नहीं होता है)						
			क	प्रतिफल का कुल मूल्य	2क					
			ख	धारा 48 के अधीन कटौती						
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा					
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii					
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii					
			iv	कुल (i + ii + iii)	खiv					
			ग	अतिशेष (2क - खiv)	2ग					
			घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश/आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2घ					
			ङ	साधारण शेयर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी (संदत्त एसटीटी) (2ग+2घ)				अ2ङ		
		3		अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय प्ररूप एफआईआई में नहीं होगा (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)						
			क	धारा 111क के अंतर्गत आने वाले संव्यवहारों पर एसटीसीजी				अ3क		

ख	क्र.सं. 3क के अंतर्गत न आने वाले शेयरों के विक्रय से या डिबेंचरों के विक्रय से एसटीसीजी	अ3ख
4	अनिवासी के लिए-धारा 115कघ के अनुसार एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न है)के विक्रय से	
क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें ।	
	क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क
	ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख
	ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग
	ii कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii
	iii कुल (ग + ii)	क iii
ख	धारा 48 के अधीन कटौती	
	i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi
	ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii
	iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii
	iv कुल (i + ii + iii)	खiv
ग	अतिशेष (4क iii - खiv)	4ग
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश/आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	4घ
ङ	एफआईआई (जोअ2 से भिन्न हो)द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ(4ग + 4घ)	अ4ङ
5	उपर्युक्त अ1 याअ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से	
क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें ।	
	क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क
	ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख
	ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग
	ii कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii
	iii कुल (ग + ii)	क iii
ख	धारा 48 के अधीन कटौती	
	i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi
	ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii
	iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii
	iv कुल (i + ii + iii)	खiv
ग	अतिशेष (5क iii - खiv)	5ग
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति (प्रतिभूति/यूनिट) अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश/आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी(केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	5घ
ङ	उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों पर अ.पू.अ (5ग + 5घ)	अ5ङ
6	लघु अवधिपूंजी अभिलाभ समझी गई राशि	

क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? □हां □नहीं □ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं										
	क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूर्व वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभखाता(x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि				
	i	2023-24	54ख								
	ii	2024-25									
ख	क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि										
	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi + कxii+ख)										क6
7	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे) (क7क+क7ख+क7ग)										अ 7
	क	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के प्रकृति की आय/हानि जो 20 प्रतिशत पर प्रभाय है, से पास ध्रो				क7क					
	ख	30 प्रतिशत की दर से प्रभाय, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास				क7ख					
	ग	लागू दरों पर प्रभाय अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास				क7ग					
8	क1-क7 में सम्मिलित एसटीसीजी की रकम, कितु दावा किया गया है कि कर से प्रभाय नहीं है या डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय है(केवल अनिवासियों के लिए लागू)										
	क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधिके अनुसार दर (यदि प्रभाय नहीं है तो शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसीअभिप्राप्त किया गया है (हां/ नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	क	डीटीए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशिदावा किया गया है कि जो कर प्रभाय नहीं है								क8क	
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि दावा किया गया है कि विशेष दरों पर कर प्रभाय है								क8ख	
अ(अ)	शेयरों के वापसी क्रय पर पूंजी हानि [अल्पकालिक 20 प्रतिशत या 30 प्रतिशत या लागू दर] केवल तभी दावा किया जा सकता है जब धारा 2(22) (घ) के अधीन संबंधित लाभांश आयअनुसूची ओएस के 1कiii या क्र.सं 2घ/2ड. में की प्रस्थापना की जाती है।										अ(अ)
9	आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ प्रभाय (क1ड + क2ड + क3क + क3ख + क4ड + क5ड + क6 + क7 - क8क)										क 9

आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासी के लिए उप-मद 4, 5, 6, और 7 लागू नहीं है)										
दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (क से च तक प्रत्येक संपदा के लिए पृथक ब्यौरे भरे)									
		अर्जन/क्रय करने की तारीख दिन/मास/वर्ष					बिक्री/अंतरण की तारीख दिन/मास/वर्ष				
	क	i	प्राप्त/प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य				कi				
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				कii				
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (कii), (कi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (कi) या अन्यथा (कii) लेंगे।				कiii				
ख	धारा 48 के अधीन कटौती										
	i	सूचीकरण रहित अधिग्रहण की लागत				खा					
	ii	सूचीकरण सहित अधिग्रहण की लागत				खii					

				(निम्नलिखित के लिए लागू होता है: 23जुलाई 2024 से पहले वहां धारा 112 (1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासी								
		iiख		सूचीकरण के साथ संशोधन की लागत								
			(क)	सूचीकरण के बिना संशोधन की लागत	खाiiख(क)							
			(ख)	संशोधन वर्ष								
			(ग)	सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत								
				निम्नलिखित के लिए ख और ग लागू होता है: 23जुलाई 2024 से पहले वहां धारा 112 (1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासी	खाiiख(ग)							
				पंक्ति जोड़े								
		iii		अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii							
		iv		कुल + खाi+Σखाiiख(क)+ खiii)	खiv							
				योग (ड.िअ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए ही) (खाiiक+Σखाiiख(ग)+ खiii)	ख ivक							
		ivक		जहां अधिग्रहण 23 जुलाई, 2024 से पहले है वहां धारा 112(1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासियों को लागू होना)								
		ग		अतिशेष (कiii - खiv)	1ग							
		गक		अतिशेष (कiii - खivक) 23जुलाई 2024 से पहले वहां धारा 112(1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासियों को लागू होना) (केवल ड. iआ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए) (नकारात्मक की दशा में शून्य समझा जाए)								
		घ		धारा 54 / 54ख/ 54डग/ 54च के अधीन कटौती(नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	1घ							
		ड		स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ(1ग- 1घ)					आ1ड			
		ड क		अचल संपत्ति पर दीर्घकालीन पूंजी अभिलाभ (1गक)-(1घ) जहां अधिग्रहण 23 जुलाई, 2024 से पहले है वहां धारा 112(1) (क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणात्मक प्रयोजनों के लिए निवासियों को लागू होना) (केवल ड. iआ की संगणना करने के प्रयोजन के लिए) (नकारात्मक की दशा में शून्य समझा जाए)					आ 1 ड क			
		ड. i		जहां अर्जन 23 जुलाई, 2024 से पहले होता है (केवल निवासियों के लिए) अ- धारा 112 (i) (क) (ii) (1ड. 12.5 प्रतिशत) के अनुसार कर आ- धारा 112(1) (क) (ड.क 20 प्रतिशत) के दूसरे परंतुक के अनुसार कर (टिप्पण))ड. (झझ) में उपेक्षित की जाने वाली आधिक्य रकम का अवधारण करने के लिए है)					आ 1ड.ि(अ) आ 1ड.ि(आ)			
		ड.ii		ऐसी आधिक्य रकम, यदि कोई हो, जिसकी धारा 112 (1)(क) (केवल निवासियों के लिए) के दूसरे परंतुक के अनुसार उपेक्षा की जाती है । [ख 1 ड.झ(अ)-ख 1ड.झ (आ)]					आ 1ड. ii			
		च		कृपया अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)								
				क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य	
				टिप्पण▶ पैन/आधार सं. का दिया जाना आज़ापक है यदि धारा194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें ।								
				छ	सभी अचल संपत्ति (Σख 1ड.) पर कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ:							आ1छ
				ज	कुल आधिक्य की उपेक्षा की जाए (Σआ 1ड.ii)							आ1ज
		2		विक्रय से, (i)सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र धारा 112(1) के अनुसार;(ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी की जीडीआर(केवल निवासी व्यष्टियों के लिए लागू)								
			क	प्रतिफल का कुल मूल्य				2क				
			ख	धारा 48 के अधीन कटौती				ख				
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत				खा				
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत				खाii				

		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii				
		iv	कुल (खi+खii+खiii)	खiv				
	ग	अतिशेष (2क-खiv)		2ग				
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		2घ				
	ड.	उपर्युक्त आ2 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां अंतरण (2ग-2घ) था					आ2ड.	
	3	कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबारन्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटीसंदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से						
		क	धारा 112क के अधीन एलटीसीजी (अनुसूची 112क का स्तंभ 14 (iii))	3क				
		ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	3ख				
		ग	उपर्युक्त आ 3 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (3क - 3ख)			ख3ग		
	4	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के असूचीबद्ध शेयरों या सूचीबद्ध डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)						
		क	असूचीबद्ध शेयरों या सूचीबद्ध डिबेंचरों की बाबत सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित एलटीसीजी	4क				
		ख	धारा 54च के अधीन कटौती(नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	4ख				
		ग	असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर पर एलटीसीजी (4क- 4ख)	आ4ग				
	5	अनिवासियों के लिए-(i)धारा 112(1)(ग) के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां,(ii)धारा 115कग में निर्दिष्टबंध पत्र या ग्लोबल निक्षेपागार रसीद, (iii)धारा 115कघ में निर्दिष्ट च2 द्वारा प्रतिभूतियां (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ आ 6 भरा जाना चाहिए I)						
		क	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें ।					
		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक				
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख				
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग				
		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii				
		iii	कुल (iग + ii)	क iii				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती					
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi				
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii				
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii				
		iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv				
		ग	अतिशेष (क iii - खiv)	5ग				
		घ	धारा 54च के अधीन कटौती(नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	5घ				
		ड.	अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 5 परआस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ(5ग- 5घ)			आ 5ड		
	6	एफआईआई /एफपीआई के लिए (अनिवासियों के लिए)- कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा115कघ के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से						
		क	धारा 112क के अधीन एलटीसीजी[अनुसूची 115कघ(1)ख(iii) परंतुक के स्तंभ 14]	6क				
		ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरेविनिर्दिष्ट करें)	6ख				
		ग	उपर्युक्त आ 7 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (6क -6ख)			आ6ग		
	7.	अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय12-क के अधीन विकल्प दें)						
		क	विदेशी मुद्रा आस्ति(सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर एलटीसीजी (धारा 115च के अनुसार)	7क				
		ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	7ख				
		ग	विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष एलटीसीजी जहां अंतरण था (7क- 7ख)			आ 7ग		

8. जहां उपर्युक्त आ1 से आ7 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय से				
क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।		
		क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क	
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख	
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग	
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii	
	iii	कुल (ग + ii)	कiii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
	i	सूचीबद्ध सहित अर्जन की लागत	खi	
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
	iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv	
ग	अतिशेष (कiii - खiv)		8ग	
घ	धारा 54घ के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		8घ	
ङ	उपर्युक्त आ8 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (8ग - 8घ) जहां अंतरण (9ग-9घ) था		आ 8ङ	

9. दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई रकम				
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्ववर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी रकम को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं			
	क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है
				नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
				नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि
	i	2022-23	54/54च	
	ii	2023-24	54/54ख/54च	
	iii	2024-25	54/54ख/54च	
ख	'क' से भिन्न, दीर्घअवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई रकम			
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई कुल राशि (कxi + कxii + कxiii + ख)			ख 9
10	दीर्घअवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/हानि के जरिए पास थ्रू (अनुसूची पीटीआई भरे) (ख10क1 + ख10क2)			ख 10
	क1	धारा 112क के अधीन 12.5% की दर से प्रभाय दीर्घअवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	ख 10क1	
	क2	धारा 112क के अधीन से भिन्न 12.5% की दर से प्रभाय दीर्घअवधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/ हानि के जरिए पास	ख10क2	

11.	एलटीसीजी की रकम ख1-ख10 में शामिल की गई परन्तु दावा किया गया कि कर के लिए प्रभार्य नहीं अथवा डीटीएए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य नहीं (अनिवासियों के लिए लागू)									
	क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख 1 से ख 10, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	डीटीएए की मद	क्या टीआरसीअभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I									
	क	एल टी सी जी की कुल रकम जिसका दावा किया गया कि डीटीएए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य नहीं							ख11क	
	ख	एल टी सी जी की कुल रकम जिसका दावा किया गया कि डीटीएए के अनुसार विशिष्ट दरों पर कर के लिए प्रभार्य नहीं							ख11ख	
	ख(क)	शेयरों की क्रय वापसी पर पूंजीगत हानि [दीर्घकालिक 12.5 %] (केवल तब दावा किया जा सकता है जब धारा 2(22), (च) के अधीन संबंधित लाभांश आय की अनुसूची ओएस के 1क iii या क्र.सं. 2घ/2ड. में प्रस्थापना की जाती है)							ख (अ)	
	12.	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (आ1छ. +आ2ड.+आ3ग + आ4ग+ आ5ड.+आ6ग. + आ7ग + आ 8ड. + आ 9.+ आ 10 + आ 11क +ख(अ))							ख13	
	इ1	पूंजीगतअभिलाभ की राशि-आय (नीचे सारणी ड. के 8ii+8iii+ 8iv+8v+8vi+8vii							इ1	
	इ2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वीडिए के स्तंभ 7)							इ2	
	इ3	पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (इ1+ इ2)							इ3	
	ई	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावा की गई कटौती के संबंध में सूचना								
	धारा 54 / 54ख/ 54डग/ 54घ/ 115घके अधीन निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए									
	क	धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती								
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख			का	दिन / मास / वर्ष			
		ii	नए आवासीय घर की लागत			क ii				
		iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख			क iii	दिन / मास / वर्ष			
		iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम			क iv				
		(ivक)	निक्षेप की तारीख		(ivख)	लेखा संख्याक		(ivग)आईएफएस कोड		
			दिदि/मामा/वाईवाई							
			2							
		v	दावा की गई कटौती की रकम			क v				
	ख	धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती								
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख			खा	दिन / मास / वर्ष			
		ii	नई कृषि भूमि की लागत			ख ii				
		iii	नए कृषि भूमि के क्रय करने की तारीख			ख iii	दिन / मास / वर्ष			
		iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम			ख iv				
		(ivक)	निक्षेप की तारीख		(ivख)	लेखा संख्याक		(ivग)आईएफएस कोड		
			दिदि/मामा/वाईवाई							
		v	दावा की गई कटौती की रकम			ख v				
	ग	धारा 54डग के अधीन दावा की गई कटौती								
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख			गा	दिन / मास / वर्ष			
		ii	विनिर्दिष्ट / अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख रुपए से अनधिक)			ग ii				
		iii	विनिधान की तारीख			ग iii	दिन / मास / वर्ष			
		iv	दावा की गई कटौती की रकम			ग iv				
	घ	धारा 54घके अधीन दावा की गई कटौती								
		i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख			घा	दिन / मास / वर्ष			
		ii	नए आवासीय घर की लागत			घii				
		iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख			घiii	दिन / मास / वर्ष			
		iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम			घiv				

		(ivक) निक्षेप की तारीख	(ivख) लेखा संख्याक	(ivग) आईएफएस कोड		
		दिदि/मामा/वाईवाई				
	v	दावा की गई कटौती की रकम	घv			
	ड	धारा 115च के अधीन दावा की गई कटौती (अनिवासी भारतीयों के लिए)				
	i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण की तारीख	डि	दिन / मास / वर्ष		
	ii	नई विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाणपत्र में विनिधान की गई रकम	डii			
	iii	विनिधान की तारीख	डiii	दिन / मास / वर्ष		
	iv	दावा की गई कटौती की रकम	डiv			
	च	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ड)		च		

उ चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा (अ8क और आ12क में शामिल रकमों को छोड़कर, जो डीटीए के तहत चार्जबल नहीं हैं।)

क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (इस स्तंभ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि		मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ 8= 1-2-3-4-5-6-7)	
			20%	30%	लागू दर	डीटीए दर	12.5%		डीटीए दर
		1	2	3	4	5	6	7	8
i	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक सकारात्मक हो)		(अ2ड.*+अ3क*+अ7क*+अ(अ))	(अ4ड*+अ7ख*+अ(अ))	(अ1ड.*+अ3ख*+अ5ड.*+अ6*+अ7ग*+अ(अ))	अ8ख	(आ1छ*+आ2ड*+आ3ग*+आ4ग*+आ5ड.*+आ6ग*+आ7ग*+आ8ड.*+आ9*+आ10क1*+आ10क2*+आ(अ))	आ11ख	
ii	20%	(अ2ड.*+अ3क*+अ7क*+अ(अ))							
iii	30%	(अ4ड*+अ7ख*+अ(अ))							
iv	लागू दर	(अ1ड.*+अ3ख*+अ5ड.*+अ6*+अ7ग*+अ(अ))							
v	डीटीए दर	अ8ख							
vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	12.5%	(आ1छ*+आ2ड*+आ3ग*+आ4ग*+आ5ड.*+आ6ग*+आ7ग*+आ8ड.*+आ9*+आ10क1*+आ10क2*+आ(अ))						
vii	डीटीए दर	आ11ख							

vii	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + i vi+vii)						
ix	मुजरा के पश्चात शेष हानि (i-viii)						

इस सारणी में एसटीसीजी के आंकड़े(अ1ड.*आदि) संबंधित स्तंभ (अ1-अ7) में संगणित एसटीसीजी की रकम हैं वैसी ही प्रतिभूतियों के साथ मुजरा किए जाने के पश्चात् आता है और जो डीटीएस के अनुसार एसटीसीजी की रकम को घटा कर आता है जो कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दरों पर प्रभार्य हैं, जिसे इसमें सम्मिलित किया गया है, यदि कोई हो।

इस सारणी में एसटीसीजी के आंकड़े(अ1ड.*आदि) संबंधित स्तंभ (आ1- आ10) में संगणित एसटीसीजी की रकम हैं वैसी ही प्रतिभूतियों के साथ मुजरा किए जाने के पश्चात् आता है और जो डीटीएस के अनुसार एसटीसीजी की रकम को घटा कर आता है जो कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दरों पर प्रभार्य हैं, जिसे इसमें सम्मिलित किया गया है, यदि कोई हो।

प्रोद्घवन की जानकारी/पूँजी अभिलाभ की रसीद						
	पूँजी अभिलाभ का प्रकार/तारीख	15 / 6 तक (i)	16 / 6 से 15 / 9 (ii)	16 / 9 से 15 / 12 (iii)	16 / 12 से 15 / 3 (iii)	16 / 3 से 31 / 3 (iv)
1.	20 % की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए, यदि कोई हो, की 3iii से मूल्य प्रविष्ट करें।					
2.	30% की दर पर करदेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv से मूल्य लिखें					
3.	लागू दर पर करदेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें					
4.	डी.टी.ए.ए दरों पर प्रभार्य अल्पकालिक पूँजीगतअभिलाभ अनुसूची बी.एफ.एल.ए की मद 3vi से मूल्य दर्ज करें, यदि कोई हो।					
5.	12.5% की दर पर कराधेयअल्पकालिक पूँजी अभिलाभअनुसूची बीएफएलए, यदि कोई हो, की 3vii से मूल्य प्रविष्ट करें।					
6.	डी.टी.ए.ए दरों पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ अनुसूची बी.एफ.एल.ए की मद 3viii से मूल्य दर्ज करें, यदि कोई हो।					
7.	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूँजीगतअभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य अनुसूची एस.आई की मद 16 से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो)					
टिप्पण▶	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय को प्रगणित करते समय एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी,अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें					

अनुसूची 112क		एक कंपनी में इकिटी शेयर की बिक्री अथवा निधी उन्मुख इकिटी की यूनिट अथवा एक कारबार न्यास की यूनिट से जिन पर धारा 112क के अधीन एसटीटी का संदत्त किया गया												
क्र म सं.	अर्जित शेयर/ यूनिट 31 जनवरी, 2018 को या उसके पहले या पश्चात्	आईएस आईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	प्रति शेयर/ यूनिट की संख्या	प्रति शेयर / यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य, - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5)	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेक सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूँजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर मूल्य - (4*10)	धारा 55(2)(क) के अनुसार पूँजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य - (4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णतः विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13)आई टीआर की एलटीसी जी अनुसूची की मद 4(क)

(स्तंभ 1)	(स्तंभ 1क)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	यदि शेयर्स 31.01. 2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं।	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)	(स्तंभ 8)	(स्तंभ 9)	जार मूल्य	(स्तंभ 10)	(स्तंभ 11)	(स्तंभ 12)	(स्तंभ 13)	(स्तंभ 14)
1																
2																
3																
4																
पंक्ति जोड़े																
कुल																

115कघ(1)(ख)(iii) परन्तुक		अनिवासियों के लिए-एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिन पर धारा 115कघ (1)(ख)(iii) परन्तुक के साथ पठित धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया														
क्र म सं.	अर्जित शेयर / इकाई 31 जनवरी, 2018 को या उसके पहले या पश्चात्	आईएसआईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य, - यदि शेयर्स 31.01. 2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(क) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य - (4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णतः विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+ 12)	शेष (6-13)आईटीआर की एलटीसी जी अनुसूची की मद 4(क)		

(स्तंभ 1)	(स्तंभ 1क)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)	(स्तंभ 8)	(स्तंभ 9)	(स्तंभ 10)	(स्तंभ 11)	(स्तंभ 12)	(स्तंभ 13)	(स्तंभ 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़े														
कुल														

अनुसूची वीडिए		आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय (टिप्पण: ऐसे प्रत्येक संव्यवहार के ब्यौरे भरे जाएं जिसमें प्रत्येक 'अंतरण' एक संव्यवहार				
क्रम सं.	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	पूजी अभिलाभ का प्रकार (अल्पकालिक/ दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में धारा (2)56x के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम(हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 - स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
सम्मिलित पंक्तियां						
कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची सी.जी का मद सं. ग2)

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय	
1	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
	क लाभांश, सकल (क + क ii + क iii)	1क	
	i (i) और (iii) से भिन्न लाभांश आय	क i	
	ii धारा 2(22)(ड़)के अधीनलाभांश आय	क ii	
	iii धारा 2(22)(च)के अधीनलाभांश आय	क iii	
	ख ब्याज, सकल (ख i + ख ii + ख iii + ख iv + ख v + ख vi + ख vii + ख viii + ख ix)	1ख	
	i बचत बैंक से नीचे	ख i	
	ii निक्षेप (बैंक/पोस्ट आफिस/कापरेटिव) से	ख ii	
	iii आयकर प्रतिदाय से	ख iii	
	iv आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	ख iv	
	v धारा 10(11)के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	ख v	
	vi धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	ख vi	
	vii धारा 10(12)के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	ख vii	
	viii धारा 10(12)के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	ख viii	
	ix अन्य जिसके अंतर्गत कंपनियां, एनबीएफसी और एचएफसी भी है	ख ix	
	ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
	घ अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामिस्व से हुई आय को छोड़कर) स्रोत का उल्लेख करें (घ i + घ ii + घ iii + घ iv + घ v)	1घ	
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घ i	

	ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii			
	iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii			
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv			
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv			
	1- कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				1ड	
	क्रं सं.	प्रकृति	राशि			
	1	पारिवारिक पेंशन				
	2	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय				
	3	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय				
	4	धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान प्रभार्य आय पर अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया				
	5	पूर्व वर्ष के दौरान धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी कारबार न्यास के किसी यूनिट धारा द्वारा प्राप्त हुई कोई विनिर्दिष्ट राशि				
	6	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त हुई कोई राशि, जिसके अंतर्गत लाभांश के रूप में आबंटित रकम भी				
	यथा अपेक्षित पक्तियां जोड़ी जा सकती हैं					
	2 विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2कi + 2कii + 2ख + 2ग + 2घ + 2ड क्रम सं.1 से संबंधित तत्व)				2	
	कi	लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली, दौड़, कार्ड खेल आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य			2कi	
	कii	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय			2कii	
	ख	धारा 115खखड. के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)			2ख	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi			
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii			
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii			
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv			
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv			
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi			
	ग	धारा 111 के अधीन कराधेयमान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित अधिशेष			2ग	
		क्र सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
	घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय, (घi से घxx का योग)				2घ
	i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i), धारा 115 क(1) (क) (अ) के परंतुक के सिवाय अधीन प्रभार्य	घi			
	ik	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी यूनिट, विदेशी कंपनी जो धारा 80 ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य, प्राप्त हुआ लाभांश	घik			
	ii	सरकार या विदेशी करेंसी ऋणों पर भारतीय समुत्पन्न से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य	घ ii			
	iii	अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य	घ iii			
	iv	धारा 194 ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क (1)(क)(iiकक) @ 5% के अधीन प्रभार्य	घ iv			

6	धारा 115कगके अधीन 10% की दर से लाभांश आय							
7	धारा 115कगक (1)(क) के अधीन 10%की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)							
8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 20% की दर से धारा 115कघ (1)(i)में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)							
9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय							
10	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवा निवृत्ति लाभ खाते से आय (धारा 89 क के अधीन राहत घटाने के पश्चात् कर योग्य भाग)							
टिप्पण ▶		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें।						

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन		चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा				
क्रम सं.	आय का शीर्ष/ स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृहसंपत्ति की हानि को छोड़ना	सामान्य लागू दरों से प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल हानि (रेस के घोड़ों से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय	
		1	2	3	4=1-2-3	
चालू वर्ष की हानि समायोजन	i	हानि छोड़ना → (इस पंक्ति को भरे यदि प्रगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची गृहसंपत्ति का 3)	(अनुसूची अन्य स्रोत का 6)	
	ii	वेतन	(अनुसूची वेतन का 6)			
	iii	गृहसंपत्ति	(अनुसूची गृहसंपत्ति का 3)			
	iv	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8 ii)			
	v	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8iii)			
	vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8iv)			
	vii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8v)			
	viii	12.5% की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8vi)			
	ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8vii)			
	x	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का 6)			

	xi	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8ड)			
	xii	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस का 2च)			
	xiii	मुजरा की कुल हानि (ii+iii+ iv+v+vi+vii+ viii+ix+x+xi+xii)				
	xiv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i - xiii)				

अनुसूची - अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन		पूर्ववर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात आय का ब्यौरा		
क्रमसं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची-चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3
अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन	i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)	
	ii	गृहसंपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(अग्रनीत यदि गृहसंपत्ति हानि है)
	iii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iv)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)
	iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)
	v	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)
	vi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)
	vii	12.5 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)
	viii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ix)	(अग्रनीत यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)
	ix	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 4x)	
	x	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xi)	(अग्रनीत यदि घुड़ दौड़ से हानि है)
	xi	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य कराधेय स्रोतों से आय	अनुसूची सीवाईएलए की 4xii)	
	xii	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii 2iv + 2v+ 2vi + 2vii+ 2viii+2x)		
	xiii	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय-योग (3i + 3ii + 3iii+3iv + 3v+ 3vi + 3vii +3viii+ 3ix + 3x + 3xi)		

अनुसूची- अग्रनीत हानि		आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा				
क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	गृहसंपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
	1	2	3	4	5	6
मुकसान को आगे ले जाना	I	2018-19				
	li	2019-20				
	iii	2020-21				
	iv	2021-22				
	v	2022-23				
	vi	2023-24				
	vii	2024-25				
	viii	2025-26				

ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग				
x	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन	(अनुसूची बीएफएलएका 2ii)			(अनुसूची बीएफएलएका 2x)
xi	2026-27 (चालू वर्ष की हानियां)	(अनुसूची सीवाईएलएका 2xiv)	(अनुसूची सीजी के मद ड) (2ix+3ix+4ix+5ix)	अनुसूची सीजी की मद ड का (6ix+7ix)	(अनुसूची ओएस का 8ड, यदि - नकारात्मक)
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि				

अनुसूची- VI क		अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां			
कुल कटौतियां	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती			
	क	80ग (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		ख	80गग (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)
	ग	80 गगघ(1) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		घ	80 गगघ(1ख) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)
	ङ	80 गगघ(2) (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		च	80घ(ब्यौरों को ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित नीचे की और भरा जाएगा)
	छ	80घघ		ज	80घघख 80घ (ब्यौरों को ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित नीचे की और भरा जाएगा)
	झ	80ङ(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		ञ	80ङ-ङ(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)
	ट	80ङ-ङक(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		ठ	80ङ-ङख(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)
	ड	80छ		ढ	80छछ(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)
	ण	80छछक		त	80छछग
		2	भाग ग-कतिपय आयों की बाबत कटौती		
	थ	80थथख(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)		द	80ददख(ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)
	ध	80ननक		न	80ननख
	प	80प		पक	80गगज

	ई-फाइलिंग अपयोजित के अनुसार कोई अन्य कटौती (ड्राप डाउन में भरे जाने वाले ब्यौरे जिन्हें ई-फाइलिंग यूटिलिटी में दिया जाना है।)						
फ	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (क से पख का योग)					फ	

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदारदानों के ब्यौरे								
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान								
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए पात्र रकम	यूपीआई अंतरण या चेक सं./आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ सं.	बैंक का आईएफसी कोड	
				नकद में दान	अन्य रीति में दान	कुल दान				
		i								
		ii								
		iii	कुल							
		ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान							
			आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए पात्र रकम	यूपीआई अंतरण या चेक सं./आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ सं.	बैंक का आईएफसी कोड
					नकद में दान	अन्य रीति में दान	कुल दान			
			i							
		ii								
		iii	कुल							
	ग	अर्हता सीमा के अधधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान								
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए पात्र रकम	यूपीआई अंतरण या चेक सं./आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ सं.	बैंक का आईएफसी कोड	
				नकद में दान	अन्य रीति में दान	कुल दान				
		i								
		ii								
		iii	कुल							
	घ	अर्हता सीमा के अधधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान								
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	ए.आर.एन (दान संदर्भ संख्या)	दान की रकम		दान के लिए पात्र रकम	यूपीआई अंतरण या चेक सं./आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ सं.	बैंक का आईएफसी कोड	
					नकद में दान	अन्य रीति में दान	कुल दान			
		i								

	ii								
	iii कुल								
	ड कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)								

अनुसूची 80छछक वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान के ब्यौरे

क्र. सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैन	दान की रकम			दान के लिए पात्र रकम
				नकद में दान	अन्य रीति में दान	कुल दान	
i							
ii							
	कुल दान						

अनुसूची 80छछग राजनैतिक दलों द्वारा किए गए अभिदाय का ब्यौरा

क्र. म. सं.	तारीख	अभिदाय की रकम			अभिदायपात्र रकम	राजनीतिक पार्टी का नाम	राजनीतिक पार्टी का पैन	यूपीआई अंतरण या संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	चेक का आई एफ एस को ड
		नकद में अभिदाय	अन्य माध्यम में अभिदाय	कुल अभिदाय					
i									
	(पंक्ति जोड़े)								
	कुल अभिदाय								

अनुसूची 80घघ आश्रित का चिकित्सकीय उपचार जो नियोग्य व्यक्ति है, सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती का ब्यौरा

नियोग्यता की प्रकृति	आश्रित का प्रकार	आश्रित का पैन	आश्रित का आधार	प्ररूप 10क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क (2) (ii) (यदि लागू हो) के अनुसार प्ररूपअभिस्वकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या(यदि उपलब्ध हो)	रकम
1.नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति 2.गंभीर नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति	1. पति या पत्नी 2. पुत्र 3; पुत्री 4.पिता 5.माता 6.भाई 7.बहन 8. एचयूएफ का सदस्य (एचयूएफ की दशा में)							

अनुसूची 80प अयोग्य व्यक्ति की दशा में कटौती का ब्यौरा

नियोग्यता की प्रकृति	प्ररूप 10क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क (2) (ii) (यदि लागू हो) के अनुसार प्ररूपअभिस्वकृति संख्या	यूडीआईडी संख्या(यदि उपलब्ध हो)	रकम
1. स्वयं से नियोग्यता 2. स्वयं की गंभीर अयोग्यता					

अनुसूची-अनुकल्पिक न्यूनतम कर		धारा 115जघ के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना	
1	भाग-ख- कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय	1	
2	धारा 115ग(2)के अनुसार समायोजन		
	क शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कतिपय कटौती	2क	
3	धारा 115जग(1)के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2क)	3	
4	धारा 115जग के अधीन कर संदेय [(3) का 18.5%] (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)	4	

अनुसूची-अनुकल्पिक न्यूनतम कर प्रत्यय		धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना				
1	निर्धारणवर्ष 2026-27(भाग-ख-कुल करआय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर	1				
2	निर्धारणवर्ष 2026-27(भाग-ख-कुल करआय का 7) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2				
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें	3				
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)					
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा	चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)	
			सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)	
	I	2013-14				
	ii	2014-15				
	iii	2015-16				
	iv	2016-17				
	v	2017-18				
	Vi	2018-19				
	Vii	2019-20				
	Viii	2020-21				
	ix	2021-22				
	x	2022-23				
	xi	2023-24				
	xii	2024-25				
	Xiii	2025-26				
	xiv	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 1,2 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)				
	xiv	योग				
5	वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट				5	
6	पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का योग]				6	

अनुसूची-विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय		विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक, आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारिती की आय में सम्मिलित करने योग्य है			
क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संबंध	रकम(रु.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया
1					
2					
3					

अनुसूची-विशेष आय						
विशेष आय	क्रमसं.	धारा	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
	1	111-पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य का संचयित शेष	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2गiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2गiv)

2	धारा 111क या धारा 115कघ 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एस.टी.सी.जी जिन पर एस.टी.टी भुगतान किया गया)	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का3iii का भाग)
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहां एस.टी.टी का संदाय नहीं किया गया है)	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iv)
4	112 (1) (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vii का भाग)
5	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों या सूचीबद्ध प्रतिभूति से भिन्न पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vii का भाग)
6	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vii का भाग)
6क	115कग(विदेशी करेंसी में खरीदे गए बंधपत्र पर अनिवासियों द्वारा प्राप्त ब्याज के माध्यम से आय)	□	10	(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)
6ख	115कग(विदेशी करेंसी में खरीदे गए जी.डी.आर से अनिवासियों द्वारा प्राप्त लाभांश के माध्यम से आय)	□	10	(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)
7	115कगक (विनिर्दिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii का भाग)
8	115कघ(प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vii क का भाग)
9	115ड विनिर्दिष्ट विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vii ख क का भाग)
10	112 (अन्य के लिए एल.टी.सी.जी)	□	12.5 (अनुसूची गछ का आ1जसे घटाकर आय के अनुसार, यदि कोई हो)	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vii का भाग)
11	112क या धारा 115कघ(1)(iii)- परन्तुक(शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी)	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vii का भाग)
12	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एसटीसीजी	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3vi का भाग)
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के3(viii) का भाग)
14क	115खख (लाटरी, वर्गपहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	□	30	(अनुसूचीओ.एस का 2क(i)का भाग)
14ख	115खखज(आनलाइन गेम से जीत)	□	30	(अनुसूचीओ.एस का 2कii)
15	115खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या धारा 69घ के अधीन आय)	□	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)
16	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)	□	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घका भाग)
18	115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)	□	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)
18क	115क(1)(ख)(अ) और 115क(1)(ख)(आ) (तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामित्व और फीस से अनिवासियों की आय)	□	20	(अनुसूची ओ एस के 2घ का भाग)
19	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई - फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित करें)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2घका भाग)

20	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत	□		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3xii का भाग)
21	20% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)
22	30% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3iv का भाग)
23	धारा 112क के अधीन 12.5 प्रतिशत की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय		12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)
24	धारा 112क के अधीन से भिन्न धारा के अधीन 12.5 प्रतिशत की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii ख का भाग)
25	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)
कुल				

अनुसूची-छूट प्राप्त आय		छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य आय)						
छूट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय				1		
	2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)		i			
		ii	कृषि पर उपगत व्यय		ii			
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेहित कृषि हानि		iii			
		iv	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)		2			
		v	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)					
		क	पिन कोड के साथ जिले का नाम जहां कृषि भूमि अवस्थित है					
		ख	कृषि भूमि का एकड़ में माप					
		ग	क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)					
		घ	क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)					
3	अन्य छूट प्राप्त आय (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है)				3			
4	डीटीए के अनुसार कर पर अप्रभार्य दावा की गई आय (अनिवासीयों के लिए लागू)							
	क्रमसं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए की मदें	आय के शीर्ष	क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	
	I							
	II							
	III	कर से अप्रभार्य दावा किए गए डीटीए से कुल आय				5		
5	कर पर दावा किए गए अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची)					6		
6	योग (1+2+3+4+5)					7		

अनुसूची पीटीआई		धारा 115 प, धारा 115पक, और 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पासथू से आय के ब्यौरे								
पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115प, 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश	कारबार न्यास / विनिवेश निधिका नाम	कारबार न्यास / विनिधान निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	शुद्ध आय/क्षति (7-8)	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति				
					ii	पूंजी अभिलाभ				
				क	अल्पकालिक अवधि					
				कi	धारा 111क					

ड 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्थाका पता	देश का नाम तथा कोड	जिप कोड	खाता धारकका नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु.में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7)हां में है,तो इस विवरणी में पेश की गई आय	क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												

च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासी का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक है।

क्र.सं.	देश का नाम औरकोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियोंके नाम और पते	वस्थापकका नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि(8)हां में है,तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8)हां में है,तो इस विवरणी में पेश की गई आय	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)													
(ii)													

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरे जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6)हां में है,तो इस विवरणी में पेश की गई आय	राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(i)										
(ii)										

टिप्पण व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार,नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था,कोइ स अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई

अनुसूची-5क पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति या पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति/पत्नी की नाम					
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या					
आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां	पति/ पत्नी में रकम का प्रभाजन	(ii)पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस की रकम	पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	गृह संपत्ति				

2	पूजीलाभ				
3	अन्य स्तोत्र				
4	कुल				

अनुसूची कठ		वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 1 करोड़से अधिक हो)				
आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे	क	स्वावर आस्ति के ब्यौरे				
	क्र. सं.	वर्णन	पता	पिनकोड	रकम (लागत) में रुपए	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(i)					
	(ii)					
	ख	जंगम आस्ति के ब्यौरे				
	क्र. सं.	वर्णन			रकम (लागत) में रुपए	
	(1)	(2)			(3)	
	(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि				
	(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य				
	(iii)	यान, क्रीड़ा-नौका, नौका और वायुयान				
	(iv)	वित्तीय आस्ति			रकम (लागत) में रुपए	
		(क)	बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमाराशि भी है)			
		(ख)	शेयर और प्रतिभूति			
		(ग)	बीमा पालिसी			
	(घ)	दिए गए ऋण और अग्रिम				
	(ङ)	हाथ में नकदी				
ग	आस्ति के संबंध में दायित्व (क+ख)					

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन		कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते						
संदाय स्टार्टअप होने पर नियोक्ता का पैना		नियोक्ता का डीपीआईआईटी रजिस्ट्रीकरण संख्या						
विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?			अगले निर्धारण वर्ष में कर स्थगन की शेष राशि	
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i)पूर्णतया (ii)आंशिक (iii)नहीं बेचे गए	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेटइक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ? o हां o नहीं यदि हां, तारीख विनिर्दिष्ट करें	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तो आबंटन की तारीख विनिर्दिष्ट करें		चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (यथास्थिति स्तंभ 3 या 4 से कलन)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			(निर्धारण वर्ष 2027-28 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2026-27में देय)		
	2	2022-23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					

3	2023-24	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
4	2024-25	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
5.	2025-26	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
6.	2026-27	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					

भाग-ख

भाग ख- कुल आय		कुल आय की संगणना	
कुल आय	1	वेतन(अनुसूची वेतन का 6)	1
	2	गृहसंपत्ति से आय(अनुसूची गृ.सं. का 3)(यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	2
	3	पूंजी अभिलाभ	
		क लघुअवधि	
		i लघु अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ.का मदड का8ii)	का
		ii लघु अवधि प्रभार्य @ 30% (अनुसूची पू.अ.का मदड का8iii)	काii
		iii लागू दर पर लघु अवधि प्रभार्य(अनुसूची पू.अ.का मदड का8iv)	काiii
		iv डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 8v)	काiv
		v कुल लघु अवधि (का + काii + काiii + काiv) (शून्य हानि प्रविष्ट करें)	3कv
		ख दीर्घ अवधि	
		i दीर्घ अवधिप्र भार्य @ 12.5% (अनुसूची पू.अ.का मदडका8vi)	खi
		ii डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 8vii)	खii
		iii कुल दीर्घ अवधि (खi + खii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3खiii
	ग अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ की राशि (3कv + 3खiii)(यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)	3ग	
	घ धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सीजी का ग2)	3घ	
	ड कुल पूंजीगत अभिलाभ(3ग + 3घ)	3ड	
	4 अन्य स्रोतों से आय		
	क सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्यअन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूचीणध का 6) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क	
	ख प्रभार्य योग्य आयपर विशेष दर पर कर(अनुसूची असो का 2)	4ख	
	ग दौड़ के घोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय(अनुसूची णध का 8ड) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग	
	घ योग (4क + 4ख + 4ग)(यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	4घ	
	5 शीर्षवार कुल आय (1+2+3ड+4घ)	5	
	6 5 के विरूद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां(अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा.के 2xiii और 3xiiiकायोग)	6	
	7 चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6)(अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन +2 अनुसूची सीवाईएलएस्तंभ 4 का योग)	7	
	8 7 के सामने मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियां(अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2xii)	8	
	9 सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रनीत हानि समा.+ 2का 3iii)	9	
	10 धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है	10	
	11 अध्याय 6के अधीन कटौतियां(अनुसूची VIककाब और 9-10 के लिए सीमित)	11	
	12 कुल आय(9-11)	12	
	13 आय जो 12 में सम्मिलित है औ रविशेष दरों पर कर से प्राभार्य(अनुसूची धझ में स्तंभ(झ)का योग)	13	

14	शुद्ध कृषि आय/दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय(अनुसूची छूट प्राप्त आय का 3)	14
15	'संकलित आय' (12-13+14)[लागू होगा यदि(12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो]	15
16	अग्रणीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां(अनुसूची अग्रणीत हानि का xi कुल पक्तियां)	16
17	धारा 115ज ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)	17

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व		कुल आय पर कर दायित्व की संगणना	
करदायित्व की संगणना	1	क धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर(अनुसूची का अनुकल्पितप्रतर कर का 4)	1क
		ख (क) परअधिभार (यदि लागू है)	1 ख
		ग स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख) उपर	1 ग
		घ समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर(1क +1ख +1 ग)	1 घ
	2	कुल आय पर संदेय कर	
		क भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर	2क
		ख विशेष दरों पर कर(अनुसूची विशेष आय का (ii)का कुल)	2ख
		ग कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13)अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो,से अधिक हो]	2ग
		घ कुलआय पर संदेय कर (2क + 2ख - 2ग)	2घ
	3	धारा 87क के अधीन रिबेट	3
4	रिबेट के पश्चात संदेय योग्य कर(2घ- 3)	4	
5	अधिभार	उपांतिक राहत से पूर्व परिकलित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार
	i अनुसूची धझ के 15(ii) के 25%	5i	iक
	ii 10% या 15% पर लागू	5ii	iiक
	iii अनुसूची धझ के [(4) - 15(ii) पर उपर्युक्त 5(ii) में संदर्भित आय पर कर]	5iii	
	iv कुल (iक+iiक)		5iv
6	(3 + 4iv) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस(3 + 5iv)		6
7	सकल कर दायित्व (4 + 5iv + 6)		7
8	कुल कर संदेय(1घ और 7 से कुछ कम)		8
8क	धारा 17(2)(vi)में संदर्भित 80आई.ए.सी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर (8 - 8ख)		8क
8ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर		8ख
8ग	गत वर्षों से कर स्थगन किंतु चालू नि.व. के दौरान देय (ई.एस.ओ.पी. पर अनुसूची कर स्थगन का स्तंभ 7 का कुल योग)		8ग
9	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115जघ के अधीन जमा (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमटी की पंक्ति 5)		9
10	धारा 115 जघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (8क - 9)		10
11	कर राहत		
	क धारा 89 (कृपया फार्म 10ड प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)		11क
	ख धारा 90 या 90क(अनुसूची टीआर का 2)		11ख
	ग धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)		11ग
	घ योग (11क + 11ख + 11ग)		11घ
12	सकल कर दायित्व (10 - 11घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें)		12
13	ब्याज और संदेय फीस		
	क विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)		13क
	ख अग्रिम कर के संदाय में व्यति क्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)		13ख
	ग अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234 ग)		13ग
	घ आय की विवरणीप्र स्तुत करने में व्यति क्रम के लिए (धारा 234घ)		13घ
	घक पुनरीक्षित आय की विवरणी प्रदान करने के लिए फीस(धारा 234झ)		13घक
	ड कुल संदेय ब्याज (13क + 13ख + 13ग + 13घ+ 13घक)		13ड

	14	संकलित दायित्व (12+ 13ड)				10		
संदत्त कर	15	संदत्त कर						
	क	अग्रिम कर (20क के स्तंभ 5 से) टीडीएस			15क			
	ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (20ख के स्तंभ 5 और 20ग के स्तंभ 9 का योग)			15ख			
	ग	स्रोत पर कर कटौती (20घ के स्तंभ 7(i) का योग)			15ग			
	घ	स्वनिर्धारण कर (20क के स्तंभ 5 से)			15घ			
	ड	संदत्त कुल कर (15क + 15ख + 15ग + 15घ)				15ड		
	16	संदेय कर (यदि 14, 15ड से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)				16		
	17	प्रतिदाय (यदि 15ड, 14 से अधिक है) (प्रतिदाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा)				17		
बैंक खाता	18	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, नहीं का चयन कर सकते हैं।)				हां. अथवा नहीं का चयन करें		
		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाता का प्रकार (ई फाइलिंग द्वारा उपबंधित ड्रापडाउन)	पुनःवापसी प्रत्यय के लिए खाते का चयन करें (कम से कम एक खाते पर सही का निशान बनाएं)	
		i						
		ii						
		नोट: 1. सभी बैंक खाते, सिवाय निष्क्रिय खाता के, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी चाहिए। 2. यदि बहुविध खातों का चयन किया जाता है, प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के पश्चात् विधिमान्य खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती						
	ii	ख) अनिवासी, जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:						
		क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का स्थान		आई.बी.ए.एन	
		यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं						
	19	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय,- (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)				□हां□नहीं		

20	अनुसूची-आयकर				
क	आय-करके अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
अग्रिम/ स्व निर्धारण	क्रम सं.	बी एस आर कोड	निक्षेप की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम(रू.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	टिप्पण▶ भाग ख-टी टी आई की क्रमसं. 15 क और 15घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।				
ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक(नियोजको) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]				
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या(टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	टिप्पण▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के कॉलम 5 से 15ख का योग भरें				

ग1 कटौतीकर्ता द्वारा आय-कर स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे (जारी किए गए प्ररूप 16क या कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 16ख/16ग/16 ड													
क्र सं.	स्वयं या अन्यव्यक्ति से संबंधित जमा टीडीएस (धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी/नियम 37खक (2) के अनुसार अन्यव्यक्ति)	अन्यव्यक्ति का पैन्/आधार सं. (यदि टीडीएस जमा अन्यव्यक्ति से संबंधित)	कटौती कर्ता का टैन्/किराएदार/क्रेता का पैन्/आधार सं..	धारा जिसके अधीन टीडीएस काटा गया	आगे लाया गया अदावाकर टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।)	तदनुरूप रिसीट/आहरित प्रस्तुत की गई	आगे ले जाए जाने वाला टीडीएस जमा				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
					वित्तीय वर्ष जिसमें कटौतीकी गई है	टीडीएस बी/ एफ	स्वयं द्वारा की गई कटौती	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या 37खक के अनुसार किसी अन्यव्यक्ति द्वारा की गई कटौती (यदि लागू हों)	स्वयं के द्वारा दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या 37खक के अनुसार किसी अन्यव्यक्ति द्वारा किया गया दावा (यदि लागू हों)	सकल रकम	आय का शीर्ष	
									आय टीडीएस	पैन्/आधार सं			
i													

घ स्रोत पर कर संग्रहण का विवरण (टी.सी.एस) [समाहर्ता द्वारा जारी प्रपत्र 27घ के अनुसार]												
अन्य आय पर टी.डी.एस	क्रम सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस [धारा 5क के अनुसार पति/ पत्नी धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	समाहर्ता का कर संग्रहण खाता संख्या तथा कर कटौती	अन्य व्यक्ति का पैन्(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	आगे लाया गया अदावाकर टी.सी.एस	चालू वित्त वर्ष की टीसीएस	इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस	टी.सी.एस जमा आगे लाया गया				
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)		
					वित्त वर्ष जिसमें संग्रह किया गया	राशिबी/एफ	स्वयं संग्रहित किया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा संग्रहित अथवा नियम 37आई (1)के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)	स्वयं दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा दावा किया गया अथवा नियम 37 आई (1)के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि अनुप्रयोज्य हो)	टी.सी.एस	पैन्
i												
टिप्पणी कृपया भाग ख-ननझ के 15ग में स्तंभ 7(i) का कुल मांग दर्ज करें												

सत्यापन

मैं, पुत्र / पुत्री, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं _____ की क्षमता में विवरणी तैयार कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक है। (यदि आबंटित किया गया है) मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, लागू होगा जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना है)

तारीख		स्थान		यहाँ हस्ताक्षर करें →	
-------	--	-------	--	-----------------------	--

यदि विवरणीकर विवरणी तैयार कर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरादे:

कर विवरणी तैयार कर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयार कर्ता का नाम	कर विवरणी तैयार कर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयार कर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम “;		

[सं. 46/2026/फा. सं. 370142/6/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : आयकर नियम, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 226(E), तारीख 30 मार्च, 2026 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2026

G.S.R. 227(E).— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- (1) These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force with effect from the 31st day of March, 2026 and shall apply in respect of returns filed for A.Y. 2026-27.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II, for FORM ITR-2, the following FORM shall be substituted, namely:—

FORM	ITR-2	INDIAN INCOME TAX RETURN [For Individuals and HUFs not having income from profits and gains of business or profession] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Please refer instructions)	Assessment Year			
			2	0	2	6

Part A-GEN GENERAL

PERSONAL INFORMATION	(A1) First name	(A2) Middle name	(A3) Last name	(A4) PAN	
	Addresses to be provided for communication purposes:				
	Primary Address: (A6a) Flat/Door/Block No. (A7a) Name of Premises/Building/Village (A8a) Road/Street/Post Office (A9a) Area/locality (A10a) Town/City/District (A11a) State (A12a) Country (A13a) PIN code/ZIP code.			(A5) Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF	
	Secondary Address: (A6b) Flat/Door/Block No. (A7b) Name of Premises/Building/Village (A8b) Road/Street/Post Office (A9b) Area/locality (A10b) Town/City/District (A11b) State (A12b) Country (A13b) PIN code/ZIP code.			(A14) Date of Birth/ Formation (DD/MM/YYYY)	
	Details to be provided for communication purposes:				
	(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Primary Mobile No. of the taxpayer			(A17) Secondary Mobile No.	
	(A18) Primary Email ID of the taxpayer			(A19) Secondary Email ID	
	(A20) (a1) Filed u/s (Tick) <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)-After condonation of delay	
	(a1ii) Or filed in response to notice u/s <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153C	
	(a2)	Do you wish to exercise the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new tax regime? (default is "No") <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No Note- For Opting out, option should be exercised along with the return of income filed u/s 139(1)			
(b)	Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]				
(bi)	Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current accounts during the previous year? (Yes/No)		Amount (Rs) (If Yes)		
(bii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)		Amount (Rs) (If Yes)		
(biii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)		Amount (Rs) (If Yes)		
(biv)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)			(Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
(c)	If Revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)			/ /	
(d)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b) enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) and date of such Notice/Order, or if filed u/s 92CD, enter date of Advance Pricing Agreement			(Unique Number) / /	
(e)	Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)	A. Resident	<input type="checkbox"/> You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)] <input type="checkbox"/> You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section (6)(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India, who left India, for the purpose of employment, as a member of the crew of an Indian ship and were in India for 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years [Explanation 1(a) of section (6)(1)(c)] <input type="checkbox"/> You are a citizen of India or a person of Indian origin and have come on a visit to India during the previous year and were in India for a) 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years; or b) 120 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years if the total income, other than income from foreign sources, exceeds Rs. 15 lakh. [Explanation 1(b) of section (6)(1)(c)]		
		B. Resident but not	<input type="checkbox"/> You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)] <input type="checkbox"/> You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)]		

FILING STATUS

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule S		Details of Income from Salary			
SALARIES	Name of Employer	Nature of employer (Tick <input checked="" type="checkbox"/> (drop down to be provided)	TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)		
	Address of employer	Town/City	State	PIN code/ ZIP code	
1	Gross Salary (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f)				1
	a	Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)	1a		
	b	Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)	1b		
	c	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)	1c		
	d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (choose country from drop down menu)	1d		
	e	Income from retirement benefit account maintained in a country "other than notified country u/s 89A"	1e		
	f	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year.	1f		
	(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)				
2	Total Gross Salary (from all employers)				2
3	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (Note: Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above)				3
3(a)	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A				3a
4	Net Salary (2 - 3 - 3a)				4
5	Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)				5
	a	Standard deduction u/s 16(ia)	5a		
	b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	5b		
	c	Professional tax u/s 16(iii)	5c		
6	Income chargeable under the head 'Salaries' (4 - 5)				6

Schedule HP		Details Of Income From House Property (Drop down to be provided indicating ownership of property)					
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1	Town/ City	State	Country	PIN Code/ ZIP Code	
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)						
	Your percentage of share in the property (%) <input type="text"/>						
	Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s)	Percentage Share in Property			
	I						
	II						
	/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]		Name(s) of Tenant(s) (if let out)	PAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)	PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)		
	<input type="checkbox"/> Let out		I				
	<input type="checkbox"/> Self-occupied		II				
	<input type="checkbox"/> Deemed let out						
	a	Gross rent received or receivable or lettable value				1a	
	b	The amount of rent which cannot be realized		1b			
	c	Tax paid to local authorities		1c			
	d	Total (1b + 1c)		1d			
e	Annual value (1a - 1d) (nil if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)				1e		
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)				1f		
g	30% of 1f		1g				
h	Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		1h				

	i	Total (1g + 1h)	1i	
	j	Arrears/Unrealized rent received during the year less 30%	1j	
	k	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)	1k	
		(fill up details separately for each property)		
2		Pass through income/loss if any *	2	
3		Income under the head “Income from House Property” (Σ1k + 2) <i>(if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)</i>	3	
NOTE ▶	Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head.			
NOTE ▶	Furnishing of PAN/ Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.			

Schedule CG		Capital Gains									
CAPITAL GAINS	Short-term Capital Gains	A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 3 and 4 are not applicable for residents)									
		1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)								
			Date of purchase/ acquisition DD/MM/YYYY				Date of sale/transfer DD/MM/YYYY				
			a	i	Full value of consideration received/receivable			ai			
				ii	Value of property as per stamp valuation authority			aii			
				iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]			aiii			
			b	Deductions under section 48							
				i	Cost of acquisition without indexation			bi			
				ii	Cost of Improvement without indexation			bii			
				iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii			
				iv	Total (bi + bii + biii)			biv			
		c	Balance (aiii – biv)			1c					
		d	Deduction under section 54B (Specify details in item D below)			1d					
		e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)							A1e	
		f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								
S. No.	Name of buyer(s)		PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, country code, ZIP code	Pin code	State			
NOTE ▶	Furnishing of PAN/ Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.										
2	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII) (where A3 is not applicable)										
	a	Full value of consideration				2a					
	b	Deductions under section 48									
		i	Cost of acquisition without indexation			bi					
		ii	Cost of Improvement without indexation			bii					
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii					
		iv	Total (i + ii + iii)			biv					
c	Balance (2a – biv)			2c							

	6	Amount deemed to be short term capital gains												
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below												
		Sl. No.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)							
					Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account								
		i	2023-24	54B										
		ii	2024-25	54B										
		b	Amount deemed to be short term capital gains, other than at 'a'											
		Total amount deemed to be short term capital gains (aXi + aXii + b)										A6		
		7	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A7a + A7b + A7c)										A7	
			a	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 20%		A7a								
		b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%		A7b									
		c	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates		A7c									
	8	Amount of STCG included in A1 – A7 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (Applicable for Non-Residents only)												
		Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A7 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate (lower of (6) or (9))			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
		I												
		II												
			a	Total amount of STCG claimed as not chargeable to tax in India as per DTAA										A8a
		b	Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates in India as per DTAA										A8b	
	A(A)	Capital Loss on buy back of shares [Short Term 20% or 30% or applicable rate] (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in 1a iii or sl.no.2d/2e of schedule OS)										A(A)		
	9	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2e+ A3a+ A3b+ A4e+ A5e+A6 + A7 - A8a + A(A))										A9		
Long-term Capital Gains	B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items, 4, 5, 6 & 7 are not applicable for residents)												
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property from a to f)												
		Date of purchase/ acquisition DD/MM/YYYY					Date of sale/transfer DD/MM/YYYY							
		a	i	Full value of consideration received/receivable				ai						
			ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii						
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii						
		b	Deductions under section 48											
			i	Cost of acquisition without indexation				bi						
			ii	Cost of acquisition with indexation (Applicable only for: Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23rd July 2024)				biia						
			iib	Total cost of improvement										

		iv	Total (bi + bii +biii)	biv					
		c	Balance (2a – biv)	2c					
		d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	2d					
		e	Long-term Capital Gains on assets at B3 above where transfer was (2c – 2d)				B2e		
3	From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A								
	a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 112A)			3a				
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)			3b				
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B3 above (3a – 3b)				B3c			
4	For NON-RESIDENTS- from sale of unlisted shares or listed debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)								
	a	LTCG computed without indexation benefit in respect of unlisted shares or listed debentures			4a				
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)			4b				
	c	LTCG on unlisted shares or listed debentures (4a-4b)				B4c			
5	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B6 is to be filled up)								
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details						
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia					
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib					
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic					
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	a ii					
		iii	Total (ic + ii)	a iii					
	b	Deductions under section 48							
		i	Cost of acquisition without indexation	bi					
		ii	Cost of improvement without indexation	bii					
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii					
		iv	Total (bi + bii +biii)	biv					
	c	Balance(aiii – biv)			5c				
	d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)			5d				
	e	Long-term Capital Gains on assets at 5 above in case of NON-RESIDENT (6c - 6d)				B5e			
6	For FII/ FPI (NON-RESIDENTS) - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A read with section 115AD								
	a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 115AD(1)(b)(iii) proviso)			6a				
	b	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)			6b				
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B6 (6a – 6b)				B6c			
7	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)								

	a	LTCG on sale of foreign exchange asset (as per section 115F) (computed without indexation)		7a			
	b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)		7b			
	c	Balance LTCG on sale of foreign exchange asset (7a – 7b)				B7c	
	8	From sale of assets where B1 to B7 above are not applicable					
	a	i		In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia			
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib			
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii			
		iii	Total (ic + ii)	aiii			
	b	Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation	bi			
		ii	Cost of improvement without indexation	bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv			
	c	Balance (aiii – biv)			8c		
	d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)			8d		
	e	Long-term Capital Gains on assets at B8 above (8c – 8d)			B8e		
	9	Amount deemed to be long-term capital gains					
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below					
		Sl. No.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	Previous year in which asset acquired/constructed	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)	
		i	2022-23	54/54F			
		ii	2023-24	54/54B/54F			
		iii	2024-25	54/54B/ 54F			
	b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'.					
		Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii + aXiii + b)				B9	
	10	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B10a1+ B10a2)				B10	
		a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% u/s 112A		B10a1		
		a2	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% other than u/s 112A		B10a2		

11	Amount of LTCG included in B1- B10 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (Applicable for Non-Residents only)											
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B10 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (Enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											
	a	Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax as per DTAA										B11a
	b	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates as per DTAA										B11b
	B(A)	Capital Loss on buy back of shares [Long term 12.5%] (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in 1a iii or sl.no.2d/2e of schedule OS)										B(A)
	12	Total long term capital gain chargeable under I.T. Act (B1g+B2e+B3c+B4c+B5e+B6c+B7c+ B8e+B9+ B10-B11a+B(A))										B12
	C1	Sum of Capital Gain Incomes (8ii +8iii + 8iv +8v + 8vi + 8vii of table E below)										C1
	C2	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Col. 7 of Schedule VDA)										C2
C3	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (C1 + C2)									C3		
D	Information about deduction claimed against Capital Gains											
1	In case of deduction u/s 54/54B/54EC/54F/115F give following details											
	a	Deduction claimed u/s 54										
	i	Date of transfer of original asset				ai	dd/mm/yyyy					
	ii	Cost of new residential house				aii						
	iii	Date of purchase/construction of new residential house				aiii	dd/mm/yyyy					
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				aiv						
		(iva) Date of deposit		(ivb) Account number			(ivc) IFS code					
		dd/mm/yyyy										
	v	Amount of deduction claimed				av						
	b	Deduction claimed u/s 54B										
	i	Date of transfer of original asset				bi	dd/mm/yyyy					
	ii	Cost of new agricultural land				bii						
	iii	Date of purchase of new agricultural land				biii	dd/mm/yyyy					
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				biv						
		(iva) Date of deposit		(ivb) Account number			(ivc) IFS code					
		dd/mm/yyyy										
	v	Amount of deduction claimed				bv						
	c	Deduction claimed u/s 54EC										
	i	Date of transfer of original asset				ci	dd/mm/yyyy					
	ii	Amount invested in specified/notified bonds (Not exceeding fifty lakh rupees)				cii						
	iii	Date of investment				ciii	dd/mm/yyyy					
	iv	Amount of deduction claimed				civ						
	d	Deduction claimed u/s 54F										
	i	Date of transfer of original asset				di	dd/mm/yyyy					
	ii	Cost of new residential house				dii						
	iii	Date of purchase/construction of new residential house				diii	dd/mm/yyyy					
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				div						
		(iva) Date of deposit		(ivb) Account number			(ivc) IFS code					
		dd/mm/yyyy										
	v	Amount of deduction claimed				dv						
	e	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)										
	i	Date of transfer of original foreign exchange asset				e i	dd/mm/yyyy					
		Amount invested in new specified asset or savings certificate					e ii					
Date of investment				e iii	dd/mm/yyyy							
Amount of deduction claimed					e iv							
f	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e)				f							

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A8a & B12a which is not chargeable under DTAA)									
Sl.	Type of Capital Gain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss				Long term capital loss		Current year's capital gains remaining after set off
			20%	30%	applicable rate	DTA A rates	12.50%	DTA A rates	
			1	2	3	4	5	6	
i	Capital Loss to be set off		$(A2e^* + A3a^* + A7a^* + A(A))$	$(A4e^* + A7b^* + A(A))$	$(A1e^* + A3b^* + A5e^* + A6^* + A7c^* + A(A))$	A8b	$(B1g^* + B2e^* + B3c^* + B4c^* + B5e^* + B6c^* + B7c^* + B8e^* + B9^* + B10a1^* + B10a2^* + B(A))$	B11b	
	(Fill this row only if computed figure is negative)								
ii	20%	$(A2e^* + A3a^* + A7a^* + A(A))$							
iii	30%	$(A4e^* + A7b^* + A(A))$							
iv	applicable rate	$(A1e^* + A3b^* + A5e^* + A6^* + A7c^* + A(A))$							
v	DTAA rates	A8b							
vi	12.50%	$(B1g^* + B2e^* + B3c^* + B4c^* + B5e^* + B6c^* + B7c^* + B8e^* + B9^* + B10a1^* + B10a2^* + B(A))$							
vii	DTAA rates	B11b							
viii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii)								
ix	Loss remaining after set off (i - viii)								
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A7) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.									
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B10) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.									

F Information about accrual/receipt of capital gain						
	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
1.	Short-term capital gains taxable at the rate of 20% <i>Enter value from item 3iii of schedule BFLA, if any.</i>					
2.	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 3iv of schedule BFLA, if any.</i>					
3.	Short-term capital gains taxable at applicable rates <i>Enter value from item 3v of schedule BFLA, if any.</i>					
4.	Short-term capital gains taxable at DTAA rates <i>Enter value from item 3vi of schedule BFLA, if any.</i>					
5.	Long-term capital gains taxable at the rate of 12.5% <i>Enter value from item 3vii of schedule BFLA, if any.</i>					
6.	Long-term capital gains taxable at the rate DTAA rates <i>Enter value from item 3viii of schedule BFLA, if any.</i>					
7.	Capital gains on transfer of Virtual Digital Asset taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 16 of schedule SI, if any</i>					

NOTE ► Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

Schedule 112A From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A															
Sl. No.	Share/ Unit Acquired (On or before / after 31 st Jan 2018)	Share/ Unit transferred (Before / on or After 23 rd July 2024)	ISIN Code	Name of the Share/ Unit	No. of Shares/ Units	Sale-price per Share/ Unit	Full Value of Consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) - If shares are Acquired after 31st January 2018 - Please enter Full Value of Consideration	Cost of acquisition with out indexation Higher of 8 and 9	Cost of acquisition	If the long-term capital asset was acquired before 01.02.2018, - Lower of 6 and 11	Fair Market Value per share/unit as on 31st January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac) - (4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balanc e (6-13) Item 4 (a) of LTCG Schedule of ITR 2
(Col 1)	(Col 1a)	(Col 1b)	(Col 2)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)
1															
2															
3															
4															
Add Rows															
Total															

115AD(1)(b)(iii) proviso			For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A rws 115AD(1)(b)(iii) proviso												
Sl. No.	Share/ Unit Acquired (On or before / after 31 st January 2018)	Share/ Unit transferred (Before or after 23 rd July 2024)	ISIN Code	Name of the Share/ Unit	No. of Shares/ Units	Sale-price per Share/ Unit	Full Value of Consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) -If shares are Acquired after 31st January 2018 - Please enter Full Value of Consideration	Cost of acquisition with out indexation Higher of 8 and 9	Cost of acquisition	If the long-term capital asset was acquired before 01.02.2018 , Lower of 6 and 11	Fair Market Value per share/ unit as on 31st January,2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac) - (4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) Item 7 (a) of LT CG Schedule of ITR 2
(Col 1)	(Col 1a)	(Col 1b)	(Col 12)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)
1															
2															
3															
4															
Add Rows															
Total															

Schedule VDA	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)					
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 - Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)						(Item No. C2 of Schedule CG)

Schedule OS		Income from Other Sources				
OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)			1	
	a	Dividends, Gross (ai+aii+aiii)			1a	
		i	Dividend income other than (ii) and (iii)	ai		
		ii	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii		
		iii	Dividend income u/s 2(22)(f)	aiii		
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi + bvii + bviii + bix)			1b	
		i	From Savings Bank	bi		
		ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society/)	bii		
		iii	From Income-tax Refund	biii		
		iv	In the nature of Pass through income/ loss	biv		
		v	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(11)	bv		
		vi	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(11)	bvi		
		vii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(12)	bvii		
		viii	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(12)	bviii		
		ix	Others including interest from Companies, NBFCs & HFCs	bix		
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross			1c	
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)			1d	
		i	Aggregate value of sum of money received without consideration	di		
		ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii		
		iii	In case immovable property is received for inadequate consideration stamp duty value of property in excess of such consideration	diii		
		iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property	div		
		v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	dv		
	e	Any other income (please specify nature)			1e	
	Sl. No.	Nature				Amount
1	Family Pension					
2	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (choose country from drop down menu)					
3	Income from retirement benefit account maintained in a country "other than notified country u/s 89A"					

4	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year.				
	5 Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year referred to in section 56(2)(xii)				
	6 Any sum received, including the amount allocated by way of bonus, at any time during a previous year, under a life insurance policy referred to in section 56(2)(xiii)				
	Rows can be added as required				
	2 Income chargeable at special rates (2ai+2aii+ 2b+ 2c+ 2d + 2e +2f elements related to Sl. No.1)			2	
	ai Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB			2ai	
	aai Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ			2aai	
	b Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)			2b	
i Cash credits u/s 68			bi		
ii Unexplained investments u/s 69			bii		
iii Unexplained money etc. u/s 69A			biii		
iv Undisclosed investments etc. u/s 69B			biv		
v Unexplained expenditure etc. u/s 69C			bv		
vi Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D			bvi		
c Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111			2c		
S.No. Assessment Year Income benefit Tax benefit					
(i) (ii) (iii) (iv)					
d Any other income chargeable at special rate (total of di to dxx)			2d		
i Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)			di		
ia Dividend received by non-resident (not being company) or foreign company from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA, chargeable under proviso to section 115A(1)(a)(A)			dia		
ii Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)			dii		
iii Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)			diii		
iv Interest referred to in section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iia) @ 5%			div		
v Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)			dv		
vi Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)			dvi		
vii Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)			dvii		
viii Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)			dviii		

	ix	Income by way of interest on bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC			dxix						
	x	Income by way of Dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC			dx						
	xi	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA			dxix						
	xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)			dxii						
	xiii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)			dxiii						
	xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA			dxiv						
	xv	Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC			dxv						
	xvi	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iaa) @ 4%			dxvi						
	xvii	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF			dxvii						
	xviii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG			dxviii						
	xix	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E			dxix						
	xx	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)			dxix						
	xxi	Income received by non-resident as referred in second proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iaa) @ 9%			dxix						
e	Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates (drop down to be provided)										2e
f	Amount included in 1 and 2 above, which is claimed as chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below) (Applicable for Non-Residents only)										2f
	Sl. No.	Amount of income	Item No.1 ai, 1aiii, 1b to 2 in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b & 2d)										
	ai	Expenses / Deductions other than "aii" (in case other than family pension)				3ai					
	aii	Interest expenditure on dividend u/s 57(i) (available only if income offered in 1a(i) and / or 1a(ii))				3aii					
	aiia	Eligible Interest expenditure u/s 57(1) – Computed Amount				3aiia					
	aiii	Deduction u/s. 57(ia) (in case of family pension only)				3aiii					

	b	Depreciation (available only if income offered in 1c of Schedule OS)		3b				
	c	Total		3c				
4	Amounts not deductible u/s 58						4	
5	Profits chargeable to tax u/s 59						5	
5a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A						5a	
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1(after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5-5a) (If negative take the figure to 3i of schedule CYLA)						6	
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)						7	
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses							
	a	Receipts		8a				
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only		8b				
	c	Amounts not deductible u/s 58		8c				
	d	Profits chargeable to tax u/s 59		8d				
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 6xii of Schedule CFL)				8e		
9	Income under the head “Income from Other Sources” (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)						9	
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources							
	S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)						
	2	Income by way of winnings from online games u/s 115BBJ						
	3a	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)						
	3b	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(iii)						
	4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than as per proviso to sec 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)						
	5	Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)						
	6	Dividend Income u/s 115AC @ 10%						

	7	Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)					
	8	Dividend Income of FII (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)					
	9	Dividend income chargeable at DTAA Rates					
	10	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (Taxable portion after reducing relief u/s 89A)					

NOTE ▶ Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

Schedule CYLA		Details of Income after Set off of Current Year Losses			
Sl. No.	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Net loss from Other sources chargeable at normal applicable rates (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
		1	2	3	4=1-2-3
i	Loss to be set off (Fill this row only if computed figure is negative)	→	(3 of Schedule HP)	(6 of Schedule-OS)	
ii	Salaries	(6 of Schedule S)			
iii	House property	(3 of Schedule HP)			
iv	Short-term capital gain taxable @ 20%	(8ii of item E of Schedule CG)			
v	Short-term capital gain taxable @ 30%	(8iii of item E of Schedule CG)			
vi	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(8iv of item E of Schedule CG)			
vii	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(8v of item E of Schedule CG)			
viii	Long term capital gain taxable @ 12.5%	(8vi of item E of Schedule CG)			
ix	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(8vii of item E of Schedule CG)			
x	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)			
xi	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)			
xii	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2f of Schedule OS)			
xiii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi + xii)				

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT

xiv	Loss remaining after set-off (i – xiii)		
-----	---	--	--

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years		
Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 4 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Current year's income remaining after set off
		1	2	3
i	Salaries	(4ii of schedule CYLA)		
ii	House property	(4iii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)	
iii	Short-term capital gain taxable @ 20%	(4iv of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
iv	Short-term capital gain taxable @ 30%	(4v of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
v	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(4vi of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
vi	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(4vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
vii	Long-term capital gain taxable @ 12.5%	(4viii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
viii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(4ix of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
ix	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(4x of schedule CYLA)		
x	Profit from owning and maintaining race horses	(4xi of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)	
xi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(4xii of Schedule CYLA)		
xii	Total of brought forward loss set off (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2x)			
xiii	Current year's income remaining after set off Total of (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)			

Schedule CFL		CARRY FORWARD OF LOSS				
	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
	1	2	3	4	5	6
CARRY FORWARD OF LOSS	i	2018-19				
	ii	2019-20				
	iii	2020-21				
	iv	2021-22				
	v	2022-23				
	vi	2023-24				
	vii	2024-25				
	viii	2025-26				
	ix	Total of earlier year losses				
	x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2ii of Schedule BFLA)		(2x of Schedule BFLA)

	xi	2026-27 (Current year losses)		(2xv of Schedule CYLA)	(2ix+3ix+4ix+5ix) of item E of Schedule CG	(6ix+7ix) of item E of Schedule CG	(8e of Schedule OS, if -ve)
	xii	Total loss carried forward to future years					

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A					
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments					
	a	80C (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		b	80CCC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	c	80CCD(1) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		d	80CCD(1B) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	e	80CCD(2) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		f	80D (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	g	80DD		h	80DDB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	i	80E (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		j	80EE (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	k	80EEA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		l	80EEB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	m	80G		n	80GG (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	o	80GGA		p	80GGC		
	2	Part C, CA and D- Deduction in respect of certain incomes/other deduction					
	q	80QQB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		r	80RRB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
	s	80TTA		t	80TTB		
	u	80U		ua	80CCH		
	ub	Any other deduction as per the e-filing utility (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)					
	v	Total deductions under Chapter VI-A (Total of a to ub)					

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G									
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit									
		Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/ IMPS/ NEFT/ RTGS	IFS code of Bank		
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation					
	i										
	ii										
	iii			Total							
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit									
		Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/ IMPS/ NEFT/ RTGS	IFS code of Bank		
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation					
	i										
	ii										
	iii			Total							
	C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit									
		Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/ IMPS/ NEFT/ RTGS	IFS code of Bank		
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation					
	i										
	ii										
	iii			Total							
	D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit									
		Name and address of Donee	PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/ IMPS/ NEFT/ RTGS	IFS code of Bank	
	Donation in cash				Donation in other mode	Total Donation					
i											
ii											
iii	Total										
E	Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)										

Schedule 80GGA		Details of donations for scientific research or rural development				
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (<i>drop down to be provided</i>)	Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation

					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i							
	ii							
		Total donation						

Schedule 80GGC		Details of contributions made to political parties							
S. No.	Date	Amount of contribution			Eligible amount of contribution	Name of the political party	PAN of political party	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/ NEFT/ RTGS	IFS code of Bank
		Contribution in cash	Contribution in other mode	Total Contribution					
	i								
	(add rows)								
	Total contribution								

Schedule 80DD		Details of deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability						
Nature of disability	Type of dependent	PAN of the dependent	Aadhaar of the dependent	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	Form Ack. No. as per Rule 11A(2)(ii) (if applicable)	UDID Number (If available)	Amount
1. Dependent person with disability 2. Dependent person with severe disability	1. Spouse 2. Son 3. Daughter 4. Father 5. Mother 6. Brother 7. Sister 8. Member of the HUF (in case of HUF)							

Schedule 80U		Details of deduction in case of a person with disability				
Nature of disability	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	Form Ack. No. as per Rule 11A(2)(ii) (if applicable)		UDID Number (If available)	Amount
1. Self with disability 2. Self with severe disability						

Schedule AMT		Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC				
1	Total Income as per item 12 of PART-B-TI				1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)					
a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a				
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2a)				3	
4	Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)				4	

Schedule AMTC		Computation of tax credit under section 115JD	
1	Tax under section 115JC in assessment year 2026-27 (1d of Part-B-TTI)	1	

2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2026-27 (7 of Part-B-TTI)			2		
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]			3		
4	Utilization of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
	S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit		AMT Credit Utilized during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)	
	I	2013-14				
	ii	2014-15				
	iii	2015-16				
	iv	2016-17				
	V	2017-18				
	vi	2018-19				
	vii	2019-20				
	viii	2020-21				
	ix	2021-22				
	x	2022-23				
	xi	2023-24				
	xii	2024-25				
	xiii	2025-26				
	xiv	Current AY (enter 1-2, if 1>2 else enter 0)				
	xv	Total				
5	Amount of tax credit under section 115JD utilized during the year [total of item No. 4 (C)]			5		
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]			6		

Schedule SPI		Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64							
Sl No	Name of person	PAN/ Aadhaar No. of person (optional)					Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1									
2									
3									

Schedule SI						
Sl No	Section	<input checked="" type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)	
1	111- Accumulated balance of recognized provident for prior years	<input type="checkbox"/>		(2ciii of Schedule OS)	(2civ of Schedule OS)	
2	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid)	<input type="checkbox"/>	20	(part of 3iii of Schedule BFLA)		
3	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(3iv of Schedule BFLA)		
4	112(1) (LTCG on listed securities/ units)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)		
5	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)		
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)		
6a	115AC (Income by way of interest received by non-resident on bonds purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)		
6b	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident from GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)		
7	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)		
8	115AD (LTCG for FIIs on securities)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)		

9	115E (LTCG for non-resident Indian on foreign exchange asset)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)
10	112 (LTCG on others) and tax thereon after taking into account Sl. no. B1h of Schedule CG, if any.	<input type="checkbox"/>	12.5 (as reduced by B1h of Schedule CG, if any)	(part of 3vii of Schedule BFLA)
11	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)
12	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3vi of Schedule BFLA)
13	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3viii of schedule BFLA)
14a	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 2a(i) of Schedule OS)
14b	115BBJ (Winnings from online games)	<input type="checkbox"/>	30	(2aii of Schedule OS)
15	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of Schedule OS)
16	115BBH (Income from transfer of Virtual Digital Asset)	<input type="checkbox"/>	30	(C2 of Schedule CG)
17	115BBF (Tax on income from patent)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)
18	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)
18a	115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty & Fees for Technical Services)	<input type="checkbox"/>	20	(part of 2d of Schedule OS)
19	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)	<input type="checkbox"/>		(part of 2d of Schedule OS)
20	Other source of income chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 3xi of Schedule BFLA)
21	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 3iii of Schedule BFLA)
22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>	30	(part of 3iv of Schedule BFLA)
23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% u/s 112A	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)
24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% under sections other than u/s 112A	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 3vii of Schedule BFLA)
25	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)	<input type="checkbox"/>		(2e of Schedule OS)
			Total	

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)

EXEMPT INCOME	1	Interest income					1		
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)			i			
		ii	Expenditure incurred on agriculture			ii			
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years			iii			
		iv	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss)			2			
		v	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)						
		a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located						
		b	Measurement of agricultural land in Acre						
		c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)						
		d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)						
	3	Other exempt income (including exempt income of minor child)					3		
	4	Income claimed as not chargeable to tax as per DTAA (Applicable for Non-Residents only)							
		Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA		Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)
		I							
		II							
	III	Total Income from DTAA claimed as not chargeable to tax					4		
5	Pass through income claimed as not chargeable to tax (Schedule PTI)					5			
6	Total (1+2+3+4+5)					6			

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115U, 115UA and 115UB										
Sl.	Investment entity covered by section 115U/115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss (7-8)	TDS on such amount, if any			
										(1)	(2)	(3)
PASS THROUGH INCOME	1.	(Dropdown to be provided)			I	House property						
					ii	Capital Gains						
					a	Short term						
					ai	Section 111A						
					aii	Others						
					b	Long term						
					bi	Section 112A						
					bii	Other than Section 112A						
					iii	Other Sources						
					A	Dividend						
					B	Others						
					iv	Income claimed to be exempt						
					a	u/s 10(23FBB)						
					b	u/s						
	c	u/s										
	2.					I	House property					
						ii	Capital Gains					
						a	Short term					
						ai	Section 111A					
						aii	Others					
b						Long term						
Bi						Section 112A						
Bii						Other than Section 112A						
iii						Other Sources						
a						Dividend						
B						Others						
iv						Income claimed to be exempt						
a						u/s 10(23FBB)						
b						u/s						
c						u/s						

Schedule FSI		Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)							
Sl.	Country Code (dropdown to be provided in the e-filing utility)	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
1			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
				Total					
2			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Capital Gains					

		iv	Other sources						
			Total						

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)							
1 Summary of Tax relief claimed									
Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)				Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)		Tax Relief Claimed under section (specify 90, 90A or 91)	
(a)	(b)	(c)				(d)		(e)	
		Total							
2 Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) <i>(Part of total of 1(d))</i>						2			
3 Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) <i>(Part of total of 1(d))</i>						3			
4 Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below						4		Yes/No	
a	Amount of tax refunded			b			Assessment year in which tax relief allowed in India		

Schedule FA		Details of Foreign Assets and Income from any source outside India										
DETAILS OF FOREIGN	A 1	Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025										
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	A 2	Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025										
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period <i>(drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	A 3	Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025										
	Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
A Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	2a	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Address of the Property	Ownership-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	2a	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of Asset	Ownership-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	2b	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31st December, 2025 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Addresses of the Institution	Country Name and Code	ZIP Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Country Name	ZIP Code	Name and address of	Date since	Whether	If (8) is yes,	If (8) is yes, Income offered in this return						

Sl No	and code	Name and address of the trust	address of trustees	Name and address of Settlor	Beneficiaries	position held	income derived is taxable in your hands?	Income derived from the trust	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(2a)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above

Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return		
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

NOTE ▶ In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.

Schedule 5A		Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code				
Schedule 5A	Name of the spouse					
	PAN/ Aadhaar No. of the					
	Heads of Income	Receipts under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	House Property				
	2	Capital gains				
	3	Other sources				
4	Total					

Schedule AL		Assets and Liabilities at the end of the year (applicable in a case where total income exceeds Rs. 1 Crore.)			
DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A	Details of immovable assets			
	Sl. No.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	B	Details of movable assets			
	Sl. No.	Description	Amount (cost) in Rs.		
	(1)	(2)	(3)		
	(i)	Jewellery, bullion etc.			
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art			
	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts			
	(iv)	Financial assets	Amount (cost) in Rs.		
		(a)	Bank (including all deposits)		
		(b)	Shares and securities		
		(c)	Insurance policies		
	(d)	Loans and advances given			
	(e)	Cash in hand			
C	Liabilities in relation to Assets at (A + B)				

Schedule: Tax deferred on ESOP	Information related to Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC
PAN of the employer being an eligible startup	

DPIIT registration number of the employer								
Sl. No.	Assessment Year	Amount of Tax deferred brought forward	Has any of the following events occurred during the previous year relevant to current assessment year				Amount of tax payable in the current Assessment Year (to be populated from col. 3 or 4 as the case maybe)	Balance amount of tax deferred to be carried forward to the next Assessment years Col (3- 7)
			Such specified security or sweat equity shares were sold (i)Fully (ii)Partly (iii)Not sold Specify the date and amount of tax attributed to such sale out of Col 3 (Details to be provided as per utility)	Ceased to be the employee of the employer who allotted or transferred such specified security or sweat equity share? o Yes o No If yes, specify date	Forty-eight months have expired from the end of the relevant assessment year in which specified security or sweat equity shares referred to in the said *clause were allotted. If yes, specify date of allotment			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2021-22	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year			(To be enabled from AY 2027-28) (Payment to be made in FY 2026-27)			
2	2022-23	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year						
3	2023-24	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year						
4	2024-25	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year						
5	2025-26	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year						
6	2026-27	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year						

PART-B

Part B – TI		Computation of total income	
TOTAL INCOME	1	Salaries (6 of Schedule S)	1
	2	Income from house property (3 of Schedule HP) (enter nil if loss)	2
	3	Capital gains	
	a	Short term	
	i	Short-term chargeable @ 20% (8ii of item E of schedule CG)	ai
	ii	Short-term chargeable @ 30% (8iii of item E of schedule CG)	aii
iii	Short-term chargeable at applicable rate (8iv of item E of schedule CG)	aiii	
iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8v of item E of Schedule CG)	aiv	

	v	Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	3av	
	b	Long-term		
	i	Long-term chargeable @ 12.5% (8vi of item E of schedule CG)	bi	
	ii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8vii of item E of schedule CG)	bii	
	iii	Total Long-term (bi+ bii) (enter nil if loss)	3biii	
	c	Sum of Short-term/Long-term capital gains (3av + 3biii) (enter nil if loss)		3c
	d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)		3d
	e	Total capital gains (3c + 3d)		3e
4		Income from other sources		
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a	
	b	Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	4b	
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c	
	d	Total (4a + 4b + 4c) (enter nil if loss)		4d
5		Total of head wise income (1+2+3e+4d)		5
6		Losses of current year set off against 5 (total of 2xiii and 3xiii of Schedule CYLA)		6
7		Balance after set off current year losses (5-6) (total of column 4 of Schedule CYLA+ 2 of Schedule OS)		7
8		Brought forward losses set off against 7 (2xii of Schedule BFLA)		8
9		Gross Total income (7-8) (3xiii of Schedule BFLA + 2 of Schedule OS)		9
10		Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9		10
11		Deductions under Chapter VI-A [w of Schedule VIA and limited to (9-10)]		11
12		Total income (9 - 11)		12
13		Income which is included in 12 and chargeable to tax at special rates (total of column (i) of schedule SI)		13
14		Net agricultural income/ any other income for rate purpose (3 of Schedule EI)		14
15		Aggregate income (12-13+14) [applicable if (12-13) exceeds maximum amount not chargeable to tax]		15
16		Losses of current year to be carried forward (total of row xi of Schedule CFL)		16
17		Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)		17

Part B—TTI		Computation of tax liability on total income			
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income u/s 115JC (4 of Schedule AMT)	1a	
		b	Surcharge on (a) (if applicable)	1b	
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a + 1b) above	1c	
		d	Total tax payable on deemed total income (1a + 1b + 1c)		1d
	2		Tax payable on total income		
		a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI	2a	
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule SI)	2b	
		c	Rebate on agricultural income [applicable if (12-13) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	2c	
		d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b - 2c)		2d
	3		Rebate under section 87A		3
	4		Tax payable after rebate (2d - 3)		4
	5		Surcharge	Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief
		i	@ 25% of 15(ii) of Schedule SI	5i	ia
		ii	@10% or 15%, as applicable	5ii	iaa
		iii	On [(4) - 15(ii) of Schedule SI - tax on incomes referred in 5(ii) above]	5iii	
		iv	Total ia + iia		5iv
6		Health and Education Cess @ 4% on (4 + 5iv)		6	
7		Gross tax liability (4 + 5iv + 6)		7	
8		Gross tax payable (higher of 1d and 7)		8	
8a		Tax on income without including income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC (8-8b)		8a	
8b		Tax deferred - relatable to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC		8b	
8c		Tax deferred from earlier years but payable during current AY (total of col 7 of schedule Tax deferred on ESOP)		8c	

	9	Credit u/s 115JD of tax paid in earlier years (applicable only if 7 is higher than 1d) (row 5 of Schedule AMTC)				9		
	10	Tax payable after credit u/s 115JD (8a + 8c - 9)				10		
TAXES PAID	11	Tax relief						
		a	Section 89(Please ensure to submit Form 10E)	11a				
		b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)	11b				
		c	Section 91 (3 of Schedule TR)	11c				
		d	Total (11a + 11b + 11c)		11d			
		12	Net tax liability (10 – 11d) (enter zero if negative)				12	
		13	Interest and fee payable					
			a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	13a			
			b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	13b			
			c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	13c			
		d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	13d				
		da	Fee for furnishing revised return of income (section 234-I)	13da				
		e	Total Interest and Fee Payable (13a+13b+13c+13d+13da)		13e			
	14	Aggregate liability (12 + 13e)				14		
TAXES PAID	15	Taxes Paid						
		a	Advance Tax (from column 5 of 20A)	15a				
		b	TDS (total of column 5 of 20B and column 9 of 20C)	15b				
		c	TCS (total of column 7(i) of 20D)	15c				
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 20A)	15d				
		e	Total Taxes Paid (15a + 15b + 15c + 15d)		15e			
	16	Amount payable (Enter if 14 is greater than 15e, else enter 0)				16		
	17	Refund (If 15e is greater than 14) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)				17		
BANK ACCOUNT	18	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)					Select Yes or No	
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by e-filing utility)	Select Account for refund credit (tick at least one account ✓)	
		i					<input type="checkbox"/>	
		ii					<input type="checkbox"/>	
		Note: 1. All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c. 2. In case multiple accounts are selected, the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return.						
		Rows can be added as required						
		ii.	b) Non- residents, not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:					
			Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN	
		Rows can be added as required						
	19	Do you at any time during the previous year, (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? <i>[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]</i>				<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	

20 TAX PAYMENTS																
A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax																
ADVANCE/SELF	SI No	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Serial Number of Challan				Amount (Rs)		
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)		
	i															
	ii															
	iii															
	iv															
NOTE ► Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in SI No. 15a & 15d of Part B-TTI																
B Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]																
TDS ON SALARY	SI No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer				Name of the Employer				Income chargeable under Salaries				Total tax deducted		
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)		
	I															
	II															
NOTE ► Please enter total of column 5 in 15b of Part B-TTI																
C Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C/16E furnished by Deductor(s)]																
I	SI No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/Aadhaar No. of Tenant/Buyer	Section under which TDS is deducted	Unclaimed TDS brought forward (b/f)	TDS of the current Financial Year (TDS deducted during FY 2025-26)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)			Corresponding Receipt/withdrawals offered		TDS credit being carried forward		
							Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Gross Amount		Head of Income	
	(1)	(2)	(3)	(4)	4a	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	
								Incom e	TD S		Incom e	TD S	PAN/Aadhaar No.			
I																
D Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]																

TDS ON OTHER INCOME	Sl. No.	TCS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/ other person as per rule 37BA(2)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. Year		TCS credit being claimed this Year		TCS credit being carried forward	
					Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)		
										TCS		PAN
	(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)	
										TCS	PAN	
	i											

NOTE ▶ Please enter total of column 7(i) in 15c of Part B- TTI

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

I further declare that I am making return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Date		Place		Sign here →
If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:				
Identification No. of TRP		Name of TRP		Counter Signature of TRP
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof				

[No. 46/2026/F. No. 370142/6/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note.- The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(ii) vide number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification GSR. 226(E), dated the 30th March, 2026